राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक–प.19(12)शिक्षा–2/16

जयपुर दिनांक 6.09.19

1.समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

2.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्राथमिक,

विषयः– विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित शिक्षकों/मंत्रालयिक कर्मचारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करने बाबत्।

सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के द्वारा जिला कलेक्टर/जिला परिषद/एसडीएम एवं अन्य कार्यालयो में कार्यव्यवस्थार्थ लगे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल समाप्त की जाकर एक माह में कार्यमुक्त किये जाने हेतु तथा एक माह में कार्यमुक्त नहीं होने की स्थिति में जुलाई माह का वेतन आहरित नही किये जाने, एवं उक्त आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबन्धित अधिकारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु एक माह से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आप द्वारा पालना रिपोर्ट नही भिजवाई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य हेतु कार्यव्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर नियोजित किया हुआ है, उन शिक्षकों की कार्यव्यवस्थार्थ की गई प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन तत्काल समाप्त कर मूल विभाग में पदस्थापित करावें, तथा सूचना से इस विभाग को जिलेवार सूचना से 3 दिवस में ईमेल **secteducationgroup2@gmail.com** के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें और अब तक निर्धारित अवधि में आदेश की पालना नही किये जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें।

इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

6/9/19
(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, मा.शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, मा.मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. समस्त जिला कलक्टर ....।
05. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।

(रामेश्वर जाट)
सहायक शासन सचिव

D:\2019\latter 19.docx